बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक...................................

03/नि0समन्वय(कार्यशाला)–29/2024

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार अंतर्गत दिनांक 25.12.2024 को दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में आयोजित नई बहुउद्देशीय समितियों के उन्मुखीकरण हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला हेतु संस्थान द्वारा किये गये व्यय की कुल राशि रू0 1,58,605/– (एक लाख अनठावन हजार छः सौ पाँच) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार अंतर्गत दिनांक 25.12.2024 को दीप नरायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में आयोजित नई बहुउद्देशीय समितियों के उन्मुखीकरण हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला हेतु संस्थान द्वारा किये गये व्यय की कुल राशि रू0 1,58,605/– (एक लाख अनठावन हजार छः सौ पाँच) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–09 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101 विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना से प्राप्त विपत्र के विरूद्ध स्वीकृत राशि का सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेगें और राशि की निकासी कर भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–पटेल नगर, पटना–23, IFSC CODE –SBIN0004386, A/C NO- 30923505568 में NEFT/RTGS के माध्यम से स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्तन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

5. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जाय।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या– 03 / नि0समन्वय(कार्यशाला)–29 / 2024 के पृष्ठ संख्या 19 / टि0 दिनांक 17.02.2025 पर प्राप्त है।

8. इस राशि की स्वीकृति पर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– 03 / नि0समन्वय(कार्यशाला)–29 / 2024 के पृष्ठ संख्या 20 / टि0 दिनांक 20.02.2025 पर प्राप्त है।

ह0 / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 497 / पटना, दिनांक 21/02/25
03 / नि0समन्वय(कार्यशाला)–29 / 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव / निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव सहित / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आंवटित की जाय।

21-02-2025

21.02.25
सरकार के अपर सचिव।